

31/12/2020

रजिस्टर्ड/जनसूचना
संख्या- 2538 पी0पी0/26-80/2020

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव
जनसूचना अधिकारी/उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0
807 जवाहरभवन अशोक मार्ग
लखनऊ।

सेवा में

श्री

[REDACTED]

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर 2020

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।
महोदय,

आपके पत्र दिनांक 19 नवम्बर 2020 के आप द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6 (3) के तहत मांगी गयी सूचना निम्नवत प्रेषित है।

1- बिन्दु संख्या-1 के संबंध में अवगत कराना है कि कानपुरनगर में नशामुक्ति केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की वेबसाइट <http://ngograntssje.gov.in> पर दी गयी है। जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उक्त दी गयी सूचना से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0 को अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत है:-

श्रीमती सरोज कुमारी राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0 808 जवाहरभवन अशोक मार्ग
लखनऊ फोन नं0-0522-2286664 है

भवदीय

[Signature]

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)

जनसूचना अधिकारी/

उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी

उत्तर प्रदेश।

फोन नं0-0522-2286664

[Signature]
3/12/20

[Signature]
3/12/20